// Pl. upload on DLB website 09/2/17

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः एस्टे/एम/एफ.10(भर्ती)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/1684 दिनांक: 08/02/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा 1963 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग, जयपुर द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निकाय में वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति दिये जाने की एतद्द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

वरिष्ठ प्रारूपकार

क.सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता/माता का नाम	वर्ग	चयन का वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी नगर निकाय का नाम
1.	श्री अजीत अटकोलिया	श्री राम निवास	सामान्य	सामा.पुरूष	फतेहपुर (सीकर)
2.	श्री गुलशन कुमार जैन	श्री राजकुमार जैन	सामान्य	सामा.पुरूष	बून्दी
3.	सुश्री गायत्री मीना	श्री गुलाबचंद	अनु.जनजाति	सामा.महिला	हिण्डौनसिटी (करौली)
4.	श्री दीपक शर्मा	श्री टोड़रमल शर्मा	सामान्य	सामा.पुरूष	दौसा
5.	सुश्री सीमा मुद्गल	श्री प्रकाश चंद शर्मा	सामान्य	सामा.महिला	नवलगढ़ (झूंझुनूं)
6.	सुश्री पूनम शर्मा	श्री श्याम लाल शर्मा	सामान्य	सामा.महिला	करौली
7.	श्री पिन्टू कुमावत	श्री मालीराम कुमावत	अ0पि0व0	सामा.पुरूष	रतनगढ़ (चूरू)
8.	श्री पवन कुमार	श्री सोहन लाल शर्मा	सामान्य	सामा.पुरूष	कुचामनसिटी (नागौर)
9.	श्री महेन्द्र कुमावत	श्री कजोड़मल कुमावत	अ0पि0व0	सामा.पुरूष	बाड़मेर
10	श्री इन्दर गोठवाल	श्री सूरजमल गोठवाल	अ0पि0व0	सामा.पुरूष	राजगढ़ (चूरू)
11	श्री सुरेश कुमार चौधरी	श्री सुखदेव चौधरी	अ0पि0व0	सामा.पुरूष	बारां
12	श्री मोहन लाल शर्मा	श्री बोदूराम शर्मा	सामान्य	सामा.पुरूष	सुजानगढ़ (चूरू)
13	श्री अरविन्द कुमावत	श्री राधेश्याम	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	लाड़नूं (नागौर)
14	श्री गोवर्धनलाल कुमावत	श्री देवीलाल कुमावत	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	आबूरोड़ (सिरोही)
15	श्री प्रदीप सैनी	श्री गुलज़ारी लाल सैनी	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	नोखा (बीकानेर)
16	श्री नरेश कुमार	श्री किशनलाल कुमावत	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	सरदारशहर (चूरू)
17	श्री श्रीकान्त लकवाल	श्री रामधन बैरवा	अनु.जाति	अनु.जाति पु	सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
18	सुश्री पूजा यादव	श्री हरफूल यादव	अ0पि0व0	अ0पि0व0 पु.	मकराना (नागौर)
19	श्री महेन्द्र कुमार मीना	श्री हरीनारायण मीना	अनु.जनजाति	अनु.जनजाति पु	जालौर

20	श्री उदय सिंह	श्री हरदयाल सिंह	वि०पि०व०	वि०पि०व० पु.	बाड़ी (धौलपुर)
21	श्री अम्बा लाल बैरवा	श्री कानाराम बैरवा	अनु.जाति	अनु.जाति पु	झालावाड़
22	सुश्री कल्पना पाटीदार	श्री वालजी पाटीदार	अ०पि०व०	टी.एस.पी.सामा	डूंगरपुर
23	श्री यशदीप आमेटा	श्री मदन लाल आमेटा	सामान्य	टी.एस.पी.सामा. पुरूष	निम्बाहेड़ा

यह नियुक्ति की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन रहेगी :—

1. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावें। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
2. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजो के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. वरिष्ठ प्रारूपकार पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
4. अभ्यर्थी को निकाय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही दहेज नहीं लेने/नहीं देने, गुटखा एवं तम्बाकू का सेवन नहीं करने संबंधी शपथ–पत्र एवं बन्ध पत्र का नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्याः एफ.12(2)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 20.04.2006 में वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
6. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तो के आधार पर, सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि (यदि कोई हो तो) को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
7. उपरोक्त पदों से होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।
8. नगर निकायों को आवंटित चयनित वरिष्ठ प्रारूपकार इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 10 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज एवं लिखित आवेदन सहित उपस्थित होगें जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रारूपकार पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होगें और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

अतः नियमानुसार संबंधित के नियुक्ति आदेश जारी कर तथा नियत समयावधि में कार्यग्रहण करवा कर पालना रिपोर्ट विभाग भिजवाना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एस्टे / एम / एफ.10(भर्ती) / आरएमएस(टी) / डीएलबी / 17 / 1685-1794 दिनांकः 08/02/17

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।

02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

03. पुलिस अधीक्षक, जिला... ।

04. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला... ।

05. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम / परिषद / पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति संबंधी कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करावें।

06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

07. अध्यक्ष / सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।

08. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

09. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।

10. सम्बन्धित श्री ....
.... ।

11. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक